कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/—/2025 दि0 लखनऊः दिसम्बर 04, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1364/2025 दिनांक 31–10–2025 के द्वारा माह दिसम्बर में जनपद कानपुर में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15–12–2025 से 18–12–2025,** जनपद आगरा में **दिनांक 22–12–2025 से 24–12–2025 एवं** जनपद मेरठ में **दिनांक 04–12–2025 से 06–12–2025** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 आगरा को नामित किया गया था। इसी प्रकार जनपद अलीगढ में युगलपीठ का गठन **दिनांक 08–12–2025 से 10–12–2025** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अलीगढ को नामित किया गया था

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 1853/2025 दिनांक 01–12–2025 के द्वारा श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, आगरा का स्थानान्तरण, अपर जिला जज, मुजफ़्फ़रनगर के पद पर हो गया है एवं विज्ञप्ति संख्या 1854/2025 दिनांक 01–12–2025 के द्वारा श्री हेमन्त कुमार–2, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ का स्थानान्तरण, अपर जिला जज, प्रतापगढ के पद पर हो गया है ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1364/2025 दिनांक 31–10–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद **कानपुर में दिनांक 15–12–2025 से 18–12–2025, जनपद आगरा में दिनांक 22–12–2025 से 24–12–2025, जनपद मेरठ में दिनांक 04–12–2025 से 06–12–2025 तक एवं जनपद अलीगढ में गठित युगल पीठ दिनांक 08–12–2025 से 10–12–2025 तक**, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/04.12.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1475/2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, 3, 4 कानपुर।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–अलीगढ, अलीगढ ।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, आगरा ।
4– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, मेरठ ।
5– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर,मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।